न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 59/2016 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्री छोगालाल पिता मगनीराम जी कुमावत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री मथुरालाल पिता मगनीराम जी कुमावत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
3. घीसीबाई पिता मगनराम जी कुमावत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्री अमृतलाल पिता सोहनलाल जी कुमावत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्रीमती कमला पत्नी सोहनलाल जी कुमावत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
6. श्री नारायण पिता उदयराम जी कुमावत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
7. श्री चेनराम पिता उदयराम कुमावत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
8. श्री जगदीशचन्द्र पिता भगवानलाल जी कुमावत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
9. श्री टीकमचन्द पिता भगवानलाल जी कुमावत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
10. गीतादेवी पिता भगवानलाल जी कुमावत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
11. सुशीला देवी पिता भगवानलाल जी कुमावत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
12. तारादेवी पिता भगवानलाल जी कुमावत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
13. सन्तोष देवी पिता भगवानलाल जी कुमावत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
14. श्रीमती धापू बेवा भगवानलाल जी कुमावत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)

15. श्री पन्नालाल पिता मगनीराम जी कुमावत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री सोहनसिंह पिता सामतसिंह जी राजपूत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री फतहसिंह पिता सामतसिंह जी राजपूत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्री नानसिंह पिता सामतसिंह जी राजपूत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्री बापूसिंह पिता मोहनसिंह जी राजपूत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्री गणपतसिंह पिता मोहनसिंह जी राजपूत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
6. श्री बसन्त कुंवर पत्नी मोहनसिंह जी राजपूत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
7. मोहनीकुंवर पत्नी मोहनसिंह जी राजपूत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
8. लीला पुत्री जोरसिंह जी राजपूत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
9. शंकरसिंह पिता जोरसिंह जी राजपूत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
10. श्रीमती दोली पत्नी जोरसिंह जी राजपूत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक
कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दिनांक 7–9–2015 प्रकरण सं. 215/2013 वाद

————/————

1– श्री एस.एल. बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट्स

2– श्री कमलेश चौहान अभिभाषक रेस्पो. सं. 1,2,3,5, 7 से 10

3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–11

–––––/–––––

निर्णय **दिनांक 05–12–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट वादी संख्या 1 से 10 द्वारा अपीलान्ट प्रतिवादी के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा–88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खटामला में वर्तमान आराजी नंबर 771 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है। इस भूमि के साबिक नंबर 400 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा दर्ज है, जो राजस्व रेकार्ड में केसू पिता उदा के नाम दर्ज थी। वादीगण के पूर्वाधिकारी ने दिनांक 31–12–1959 को पंजीकृत विक्रय पत्र से उक्त आराजी को क्रय किया है तथा पूर्वाधिकारियों के समय से काबिज है। केसू पिता उदा के अनपढ़ होने के कारण नाजायज फायदा उठाने के लिए प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी उदाराम द्वारा साबिक आराजी नंबर 397 का केसू से क्रय किया व उक्त विक्रय पत्र में साबिक आराजी नंबर 400 का भी विक्रय पत्र में अंकन करवा दिया। जबकि साबिक आराजी नंबर 400 का केसू द्वारा उदाराम को विक्रय नहीं किया गया था। उदाराम को कब्जा नहीं मिलने पर उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में 33/66 रेवेन्यू वाद बेदखली का दर्ज करवाया, जो 3–9–1970 को खारिज होने के बाद आर.ए.ए. के यहां अपील भी खारिज हो गई तथा राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील भी प्रकरण संख्या 190/1972 दिनांक 10–6–1974 को राजस्व मण्डल द्वारा खारिज कर दी गई। उपरोक्तानुसार कब्जा वादीगण का ही चला आ रहा है। भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भी उदाराम ने कब्जा वादीगण का होना तस्दीक किया। साबिक आराजी नंबर 400 वर्तमान आराजी नंबर 771 का केसू द्वारा उदाराम को विक्रय नहीं किया, पर गलती से वह उदाराम के नाम दर्ज हो गई। जबकि 56 वर्षो से कब्जा वादीगण का ही है। राजस्व रेकार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्ठी के कारण प्रतिवादी उदयलाल के वारिसान इसे बेचने को आमादा है। वादीगणों को खातेदार घोषित करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

उपरोक्त वाद पर प्रतिवादीगण अपीलान्ट की और से अधिनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता श्री प्रजित तिवारी ने वकालत पत्र दिनांक

23–7–2013 को पेश किया, परन्तु इसके बाद दिनांक 8–5–2014 को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी अपीलान्ट के विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 7–9–2015 से वादी रेस्पोन्डेन्ट का वादी डिक्री कर दिया।

अधिनस्थ न्यायाल के निर्णय दिनांक 7–9–2015 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिंनाक 28–10–2016 को पेश की।

..... अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ आदेश–41, नियम–27 जाब्ता दीवानी का आवेदन पेश कर विक्रय पत्र भू–प्रबन्ध विभाग के खसरे, जमाबन्दी सम्वत् 2031–67 तक कूल 10 जमान्दीयों की (प्रमाणित प्रतिलिपियां) पेश की प्रमाणित प्रतिलिपियां व राजस्व रेकार्ड की प्रतिलिपियां सद्भावी व प्रासंगिक दस्तावेज होने से रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय किया है। अपीलान्ट को दावे के सम्मन ही प्राप्त नहीं हुए। सम्मनों पर फर्जी हस्ताक्षर किये गये है। अतएव फौजदारी कार्यवाही की जाय। अपीलान्ट ने कभी भी अधिवक्ता प्रजित तिवारी व अन्य वकील को नियुक्त नहीं किया, न ही वकालतनामा पेश करवाया। वकालत नामे के सन्दर्भ में भी फौजदारी कार्यवाही की जाय। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की सर्व प्रथम जानकारी 19–10–2016 को विपक्षीगण द्वारा जानकारी देने पर जानकारी हुई व अन्दर जानकारी मयाद विधि विरूद्ध आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी दिया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–11 की और से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–4 व 6 को छोड़कर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 3, 5, 7 से 10 की और से अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान ने उपस्थिति दी।

दफा–5 जाब्ता मयाद के आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

हमारे द्वारा यह पाया गया कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के सम्मन ही प्राप्त नहीं होना व फर्जी हस्ताक्षर सम्मन पर किया जाना व्यक्त कर आपराधिक कार्यवाही करवाना चाहता है, इसी प्रकार सभी अपीलान्ट

प्रतिवादी की और से दिनांक 23–7–2013 को पेश शुदा वकालत पत्र पर भी यह कहते है कि उन्होंने वकील नहीं किया तथा हस्ताक्षर वकालत पत्र पर भी फर्जी है। आश्चर्यजनक रूप से 15 अपीलान्ट के सम्मनों पर फर्जी हस्ताक्षर होना तथा वकालत पत्र पर भी 15 अपीलान्ट के व्यक्तिगत हस्ताक्षर फर्जी होना अपीलान्ट व्यक्त करते है, अर्थात यह कहते है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई। न्यायालय से इस पर कार्यवाही की मांग करते है, जो धारा–340, 195 केस कोप में नहीं आती। संपत्ति संबंधी मामले में अपीलान्ट के साथ यदि कोई धोखा होने का प्रमाणन व साक्ष्य होता तो अपीलान्ट आवश्यक व निसन्देह आपराधिक कार्यवाही संस्थित करवाकर उसकी साक्ष्य न्यायालय में पेश करता। तामिल कुनिन्दा के द्वारा फर्जी तामिल करवाना एवं वकील द्वारा भी 15 अपीलान्ट के फर्जी हस्ताक्षर भी प्रथम दृष्टया हस्ताक्षरों के मिलान से पृथक प्रतीत नहीं होते।

हम पेश शुदा वकालत पत्र दिनांक 23–7–2013 को हमारे स्तर से फर्जी मानने का कोई आधार नहीं पाते। अपीलान्ट द्वारा फर्जीवाड़े के उक्त कथन/कहानी विश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं है, जबकि यदि वास्त में ऐसा होता तो निसन्देह अपीलान्ट संबंधित के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही करता। दिनांक 23–7–2013 को पेश शुदा वकालत पत्र के बाद अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट प्रतिवादी की अनुपस्थिति का कोई ठोस, उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार अपील में हुए विलम्ब को शमन नहीं किया जा सकता एवं तद्नुसार अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा मयाद के बिन्दू पर निम्नानुसार न्यायिक नजीरें पेश की है :–

1. R.R.D. 1992 Page 17
2. R.B.J. 2006 Page 796 (HC)
3. R.R.T. 2006-07 Page 443

उपरोक्त न्यायिक नजीरों के तथ्य इस प्रकरण में उपरोक्त विवेचनानुसार इस प्रकरण के तथ्यों से सुसंगत नहीं होने से यह न्यायिक नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती।

प्रकरण में जहां तक विधि विरूद्ध आदेश का प्रश्न है, प्रथम विक्रय अपीलान्ट के पक्ष में है, परन्तु यह स्थापित रूप से प्रकट है कि

कब्जा वादी रेस्पोन्डेन्ट का है। क्योंकि द्वितीय अपील तक अपीलान्ट प्रतिवादी का बेदखली का वाद खारिज रहा है।

अपीलान्ट द्वारा द्वितीय विक्रय को लेकर निम्नानुसार न्यायिक नजीरे पेश की है :–

1. R.R.T. 2009-10 Sup Page 411 (SC)
2. R.R.T. 2005 (2) Page 1236 (SC)

अपीलान्ट द्वारा मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद डिक्री नहीं किये जा सकने बाबात् निम्नानुसार न्यायिक नजीर पेश की है :–

1. R.B.T. 2014 Page 642 (HC)

उपरोक्त गुणावगुण आधार पर पेश शुदा नजीरों के बरूए मयाद कोई विधिक अहमियत नहीं है, क्योंकि किसी भी अपीलान्ट/पक्षकार को अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई के व्यक्त स्पष्ट अवसर होने के बावजूद उसके द्वारा स्वेच्छा से न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर न्यायालय अपील स्तर पर विचारण न्यायालय के अनुसार कार्यवाही पक्षकार की सुविधा के अनुसार विधिक प्रक्रिया के अतिक्रमण में संपादित नहीं की जा सकती।

उपरोक्त समग्र परिस्थितियों से हम अपील अपीलान्ट स्पष्टतया बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 7–9–2015 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05–12–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम ..... **उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

1–श्री छोगालाल पिता मगनीराम जी कुमावत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द अन्य–14	बनाम	**1–श्री सोहनलाल पिता सामतसिंह जी राजपूत निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द अन्य–9 व सरकार**

अपील नं0 **59/2016** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **राजसमन्द....**..... मुकाम मुक्र्खे.....**07**.....माह.....**09**..... **2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**05**..... माह .....**12**..... सन् **2017** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी ....**श्री एस.एल. बोहरा .....**..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री कमलेश चौहान** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट स्पष्टतया बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 7–9–2015 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**05**..... माह ...**12**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।